सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा :.सं . NCST/SER-2392/MHRD/30/2025-RU-IV दिनांक : 11.09.2025

सेवा मे,

प्रो प्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
लालपुर, अमरकंटक,
अनूपपुर, मध्य प्रदेश 484887
ई:मेल- vc@igntu.ac.in

विषय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक द्वारा पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में की गई तथाकथित (मध्य प्रदेश) श्री पारस राम -यमितताओं एवं पक्षपात के संबंध में शिकायतअनि, गांवदिवांदी-, तहसीलरोहट-, जिलाका (राजस्थान) पाली- दिनांक02.06.2025 का पत्र ।

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 20.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषककी जांच/ जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 04:40** PM बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री पारस राम,
गांवदिवांदी-, तहसील रोहट,
जिला पाली (राजस्थान)
Mobile No:9772050573

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-2392/MHRD/30/2025-RU-IV

दिनांक: 20/06/2025

कुलपति,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
लालपुर, अमरकंटक,
अनूपपुर, मध्य प्रदेश 484887
ई-मेल: pro@igntu.ac.in

विषय: **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) द्वारा पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में की गई तथाकथित अनियमितताओं एवं पक्षपात के संबंध में शिकायत- श्री पारस राम, गांव-दिवांदी, तहसील-रोहट, जिला-पाली (राजस्थान) का दिनांक 02.06.2025 का पत्र ।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री पारस राम** से दिनांक 02/06/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री पारस राम,
गांव-दिवांदी, तहसील-रोहट,
जिला-पाली (राजस्थान)
Mobile No:9772050573

S.No. 10815-10816
date 25-6-2025

O/C

ISSUED

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website : www.ncst.nic.in
Tel. : 011-24615012, 011-24657272, 011-24620638 Toll Free : 1800117777

सेवा में,

दिनांक-विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, सोमवार 2/जुन/2025

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
5वीं मंज़िल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003

विषय: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) द्वारा पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं एवं पक्षपात के संबंध में शिकायत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं **पारस राम**, निवासी - जिला पाली, राजस्थान, **मीना जनजाति (अनुसूचित जनजाति)** का सदस्य हूं। मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के **पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग (Journalism & Mass Communication)** में पीएचडी प्रवेश हेतु परीक्षा दी थी। मेरा **रोल नंबर - 2401091030** है। प्रवेश परीक्षा परिणाम के अनुसार:

- प्रथम स्थान प्राप्त छात्र (रोल नंबर - 2401091012) ने **73 अंक** प्राप्त किए।
- द्वितीय स्थान पर रहे अभ्यर्थी ने **69 अंक** प्राप्त किए।
- मैं **तीसरे स्थान** पर उत्तीर्ण हुआ था।

इसके उपरांत आयोजित साक्षात्कार में न केवल **मुझे**, बल्कि प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को भी प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जबकि हमसे **कम अंक प्राप्त करने वाले अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश** दे दिया गया। यह संपूर्ण प्रक्रिया न केवल **पक्षपातपूर्ण** है, बल्कि **मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन** भी है।

प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की इस मनमानी के विरोध में **आंदोलन करना पड़ा**, जिसके उपरांत उसे प्रवेश दिया गया। परंतु, मुझे अब तक न्याय नहीं मिला है। इस प्रक्रिया में एक और गंभीर अनियमितता देखने को मिली:

- अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में इंटरव्यू बोर्ड में शामिल **श्री B. Janardhan** (आर्कियोलॉजी विभाग, कर्नाटक से) का एक ही दिन में **4–5 विभागों** में इंटरव्यू पैनल में उपस्थित होना दर्शाया गया है, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
- इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने मात्र **औपचारिक हस्ताक्षर किए** और इंटरव्यू प्रक्रिया में वास्तविक रूप से सम्मिलित नहीं हुए।

- यह न केवल **अनुसूचित जनजातियों के हितों की अनदेखी** है, बल्कि चयन प्रक्रिया की **पारदर्शिता और वैधता पर गंभीर प्रश्न** खड़ा करता है।

इसके अतिरिक्त, पत्रकारिता विभाग के प्रमुख **प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्रा** पर पूर्व में भी अनुसूचित जनजाति समुदाय के विरुद्ध **जातिवादी व्यवहार के आरोप** लग चुके हैं। ऐसे में मेरा प्रवेश न होना, जबकि मेरी **मेधा एवं स्थान तीसरा था**, इस बात को पुष्ट करता है कि चयन प्रक्रिया में **पूर्वग्रह एवं पक्षपात** बरता गया है। **अतः आपसे विनम निवेदन है कि:**

1. पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।
2. मेरी **प्रवेश परीक्षा की योग्यता** एवं उपयुक्तता के आधार पर मुझे प्रवेश दिलवाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाए।
3. इस पूरे घटनाक्रम में शामिल व्यक्तियों की **भूमिका की जांच** कर उचित कार्रवाई की जाए।
4. भविष्य में अनुसूचित जनजातियों के साथ इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आयोग उचित दिशानिर्देश जारी करे।

आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मेरे प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लेकर शीघ्र उचित एवं न्यायसंगत कार्रवाई करें।

सादर,

(पारस राम)
रोल नंबर: 2401091030
पता: गाँव- दिवांदी, तहसील-रोहट, जिला-पाली, राजस्थान
मोबाइल: 9772050573

पारस राम

संलग्न दस्तावेज़:

1. प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड (प्रतिलिपि संलग्न)
2. प्राप्त अंकों का विवरण (प्रतिलिपि संलग्न)
3. अंतिम चयन सूची (प्रतिलिपि संलग्न)
4. प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी के आंदोलन से संबंधित समाचार लेख (प्रतिलिपि संलग्न)